

प्रेषक,  
हरिराज किशोर  
प्रमुख सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,  
निदेशक,  
कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कार्यालय-मुंका०अ०  
दफ्तरी संख्या-120  
दिनांक-21/5/12

खादी एवं ग्रामोद्योग अनुभाग-2

लखनऊ : दिनांक 18 मई, 2012

विषय: वित्तीय वर्ष 2012-13 में ग्रामोद्योग/प्रदर्शनियों का आयोजन योजना हेतु प्राविधानित धनराशि की प्रथम चार माह हेतु वित्तीय स्वीकृति। महोदय,

उपर्युक्त विषयक खादी बोर्ड के पत्रांक 01/खा0ग्रा0बो0/प्रचार प्रदर्शनी/2012-13 दिनांक 09.04.2012 के सन्दर्भ में मुझे यहाँ कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 में ग्रामोद्योग प्रदर्शनियों का आयोजन हेतु आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू० 72,००,000.00(रुपये बहत्तर लाख पचास हजार मात्र) में से प्रथम चार माह के लिए लेखानुदान के माध्यम से धनराशि रुपये 24,16,000.00 (रुपये चौबीस लाख सोलह हजार मात्र) की धनराशि निदेशक, कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग के निर्वहन पर रखने की निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते हैं:-

1. उक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का व्यय करते समय आहरण वितरण अधिकारी द्वारा वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या बी-1-3520/दस-2011-231/ 2012, दिनांक 16 दिसम्बर, 2012 में शासकीय व्यय में मितव्ययिता बरते जाने के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
2. उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 में महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ०प्र० इलाहाबाद एवम् शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। साथ ही व्यय की गयी धनराशि का मासिक व्यय विवरण प्रपत्र बी.एम.-8 में वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6 को उपलब्ध कराया जायेगा।
3. उक्त स्वीकृत धनराशि का लेखा महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम उ०प्र० इलाहाबाद या उनके मनोनीत किसी अन्य अधिकारी द्वारा जांच के लिए उपलब्ध रहेगा। यह लेखा कम्प्ट्रोलर एण्ड आडिटर जनरल या उनके द्वारा मनोनीत किसी अन्य अधिकारी द्वारा टेस्ट आडिट के लिए उपलब्ध रहेगा।

प्रमुख अ. प्रचार/प्रदर्शनी

21-5-12  
मु. नं. 377

0-51/12  
21/5/12

श्री मनोज  
21-5-12

81  
21-5-012

4. निदेशक द्वारा स्वीकृत धनराशि का उपयोग करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि पूर्व स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर महालेखाकार उ०प्र० इलाहाबाद तथा शासन के वित्त विभाग एवं प्रशासकीय विभाग को उपलब्ध हो जाये
5. उक्त धनराशि से होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2012-13 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-5 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक "2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-आयोजनेत्तर -105-खादी ग्रामोद्योग-07-ग्रामोद्योग प्रदर्शनियों का आयोजन-42-अन्य व्यय" के अन्तर्गत व्यवस्थित धनराशि के नामे डाला जायेगा।
6. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-बी०-1-547/दस-2012-231/2012, दिनांक 20 मार्च, 2012 में की गयी व्यवस्था के अनुसार वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा रही है।

भवदीय,

(हरिराज किशोर)  
प्रमुख सचिव

संख्या 240 (1)/59-2-2012-21(ख)/2009 तददिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ०प्र० इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० इलाहाबाद।
3. मुख्य कोषाधिकारी जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
5. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकी निदेशालय, 125 जवाहर भवन, लखनऊ।
6. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ०प्र० खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, लखनऊ।
7. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, संगम पैलेस, उ०प्र० इलाहाबाद।
8. एन०आई०सी० नियोजन विभाग।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर० डी० कल्याण)  
अनु सचिव